BRRMS mail
25.06.2024

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा–2
Mail ID-rwdeedbg2@gmail.com

पत्रांक 1132 / दिनांक 24/06/2024

प्रेषक,

ई० अवधेश कुमार
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा–2

सेवा में,

Sri Manoj Kumar Ray
Vill+P.O-Berua Ibrahimpur,
Piraharl, Dist-Muzaffarpur,
Pincode-843118
Mobile No-9931700390

विषयः– शीर्ष MMGSY योजना अन्तर्गत PMGSY road to madhopur baral tola तक पथ निर्माण कार्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं करने के संबंध में।

प्रसंगः– एकरारनामा संख्या–73/SBD/20-21 दिनांक– 28.08.2020, इस कार्यालय का पत्रांक–985 दिनांक–01.06.2024 एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा के पत्रांक–1191/ दरभंगा दिनांक– 19.06.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित पथ का मूल कार्य आपके द्वारा दिनांक–31.03.2022 को पूर्ण किया गया है। आप अच्छी तरह अवगत है कि पूर्ण किये गये पथ का पाँच वर्षीय अनुरक्षण कार्य कारना एकरारनामा का भाग है। अनुरक्षण कार्य करने हेतु बार–बार मौखिक रूप से एवं इस कार्यालय के पत्रांक–985 दिनांक–01.06.2024 द्वारा निर्देशित किया गया था, परन्तु अद्यतन आपके द्वारा अनुरक्षण कार्य नही किया गया है, जो कि एकरारनामा की शर्तों के विरूद्ध आचरण है। ज्ञातव्य हो कि उक्त पथ का अनुरक्षण की जॉच कनीय अभियंता, सिंहवाड़ा द्वारा भी BRRMS App से दिनांक–20.01.2024 को किया गया, जिसमें SRI ग्रेडिंग प्रदान की गई। इसके बाद सहायक अभियंता, सिंहवाड़ा द्वारा भी BRRMS App से दिनांक–25.04.2024 को किया गया, जिसमें SRI ग्रेडिंग प्रदान की गई। जिसकी सूचना BRRMS App के द्वारा आपके रजिस्ट्रड मोबाईल नं० एवं रजिस्ट्रड ई–मेल आई०डी० पर दिया गया है। तदुपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी दिनांक–28.05.2024 को BRRMS App से Rectification Module में अंकित होने के कारण निरीक्षण किया गया जिसमें U ग्रेडिंग प्रदान की गई। उक्त पथ में कोई भी Rectification का कार्य नहीं किया गया जिसके कारण अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दभंगा द्वारा दिनांक–16.06.2024 BRRMS App से Rectification Module में अंकित होने के कारण निरीक्षण किया गया जिसमें U ग्रेडिंग प्रदान की गई। साथ ही अपने पत्रांक–1191 दिनांक–19.06.2024 द्वारा स्पष्ट रूप से निदेश दिये है कि "U" ग्रेडिंग में आवश्यक सुधार नहीं करने के करण एकरारनामा को विखंडित करते हुए काली सूची में दर्ज करने हेतु अनुशंसा किया जाय।

अतः आप एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं उक्त कृत के लिए SBD के Clause of Contract की कंडिका–3 अन्तर्गत उप कंडिका–(iv) के तहत एकरारनामा को विखंडित करते हुए कालीकृत करने हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा कर दिया जाय। साथ ही आपको निदेशित किया जाता है कि 03 दिनों के अन्दर उक्त पथ में अनुरक्षण कार्य में सुधार करते हुए गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करना सुनिश्चित करें एवं अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित किया जाय। ताकि उक्त दंडात्मक कार्रवाई को स्थगित करने की अनुशंसा विभाग से किया जा सके।

विश्वासभाजन
24/6/24
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा–2
24/6/24

ज्ञापांक 1132 / दिनांक 24/06/2024
प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा/ नोडल पदाधिकारी BRRMS ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।।

24/6/24
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा–2
24/6/24